गैरजनतांत्रिक प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून से आदिवासियों, दलितों और औरतों के हकों की रक्षा का अभियान

प्रतिपूरक वनीकरण क्या है?

वनाधिकार कानून के तहत जंगलों के बड़े हिस्से पर आदिवासियों और वनवासी समुदायों के हक को स्वीकार किया गया था. तरह-तरह की विकास परियोजनाओं के नाम पर उन जंगलों कोउनसे छीना जाता रहा है और उन्हें लगातार साफ किया जाता रहा है. प्रतिपूरक वनीकरण जंगलों के विनाश की भरपाई का वैधानिक तरीका है. इसके लिए गैर-जंगल निजी और सामुदायिक जमीन पर पेड़-पौधे लगाए जाते हैं और उजड़े जंगलों का फिर से बसाया जाता है. विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों का इस्तेमाल करने वाली निजी और सरकारी एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण के वसूला गया पैसा ग्रामसभाओं के देने के बजाय जंगल महकमे को दे दिया जाता है जबकि जंगलों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रामसभाओं की है और जंगलों के नाश की सबसे बड़ी मार उन्हें ही झेलनी पड़ती है. उनके बदले जंगल महकमा इस धन से वनवासी समुदायों की ही परंपरागत और सामुदायिक जमीन पर पेड़ पौधे लगाता है और उन्हें उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल और विस्थापित कर देता है.

कैम्पा कानून और उसके नियम क्या हैं?

1) *वर्ष 2016 में प्रतिपूरक वनीकरण कोष के 42,000 करोड़ रुपए पर नियंत्रण के लिए कैम्पा कानून बनाया गया*

2) *कैम्पा कानून इस कोष पर पूरा हक जंगल महकमे को देता है. इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकरणों का गठन किया जाएगा. प्रतिपूरक वनीकरण कोष का उनकी ही जमीन पर कैसे खर्च किया जाए ग्रामसभाओं से यह पूछना भी जरूरी नहीं रह जाएगा.*

3) *कैम्पा कानून वनाधिकार कानून का खुला उल्लंघन है*

4) इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा इसके नियम 2017 के अंत तक बनाए जाने हैं. इन नियमों के बनते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा.

केंद्र सरकार की योजना है कि 2017 के अंत तक कैम्पा कानून के तहत नियम तय कर दिए जाएँ ताकि 42,000 करोड़ की प्रतिपूरक वनीकरण के मद की यह राशि जंगल महकमे को सौंपी जा सके. कानून पर अमल में ग्रामसभाओं की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी. जंगल महकमे को इस कोष का इस्तेमाल करते हुए वृक्षारोपण, जंगलों की बाड़बंदी, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाने, हथियारबंद दस्ते तैयार करने यानी वनाधिकरों के उल्लंघन की खुली छूट होगी.

आदिवासियों और वनवासी समुदायों पर क्या असर पड़ेगा?

कैम्पा कानून वनाधिकार कानून के तहत हासिल सुविधाओं और हकों को उलट देगा और आदिवासियों और वनवासी समुदायों को फिर से जंगल महकमे की मनमानी के मातहत ला देगा. यह आदिवासियों और वनवासी समुदायों के वनाधिकारों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा खतरा है

हमारी माँग

1) प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर सबसे पहला हक आदिवासियों और वनवासी समुदायों का है क्योंकि इसे वनाधिकार कानून के तहत उनके जंगलों को विनाश के एवज में जमा किया गया है.

1) *कैम्पा कानून आदिवासियों और जंगलवासी समुदायों के पारंपरिक हकों की अनदेखी करता है और उन्हें उनके सामुदायिक जंगल और कानूनी जमीन से गैरकानूनी ढंग से बेदखल कर देगा*

2) *वनाधिकार कानून के तहत दिए गए जंगलों की देखभाल और संचालन के अधिकार से समुदायों को बेदखल कर देगा और सारे अधिकार एक बार फिर से जंगल महकमे के हाथों सौंप देगा.*

3) *यह जंगल तक परंपरागत पहुँच से वंचित कर औरतों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए लंबी दूरियाँ तय करने के लिए बाध्य करेगा.*

4) *कैम्पा कानून आदिवासियों और जंगलवासी समुदायों को जबरिया जंगल से हटाकर दूसरी जगह बसाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा*

5) वर्ष 2017 के अंत तक इस कानून के तहत नियम तय करने पर रोक लगाई जानी चाहिए और कानून को वापस लिया जाना चाहिए,

2) प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून, 2016 को वापस लिया जाए और प्रतिपूरक वनीकरण के नाम पर जमा किए गए धन को वनाधिकार कानून के तहत ग्रामसभाओं को सौंप दिया जाए ग्रामसभाएँ इस धन को इस्तेमाल जंगल संरक्षण और नए जंगल लगाने मे करेंगी
3) प्रतिपूरक वनीकरण के हर काम में ग्रामसभाओं की पूर्वानुमति ली जाए
4) वृक्षारोपण और जंगल बचाने के नाम पर औरतों, दलितों, आदिवासियों और छोटे किसानों का विस्थापन बंद हो.
5) इस कानून के तहत जंगल जमीन पर कोई भी काम न किया जाए जब तक इलाके में वनाधिकार कानून पूरी तरह लागू नहीं हो जाता और जंगलों पर सामुदायिक हकों को गाँवों के हवाले नहीं कर दिया जाता.

हम-आप क्या कर सकते हैं?

1) ग्रामसभाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे वनाधिकार कानून के तहत हासिल अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आईएफआर, सीआर और सीएफआर पर अपने कानूनी हक और नियंत्रण का दावा पेश करें, कैम्पा कानून को वापस लेने की माँग करें और प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर ग्रामसभाओं के अधीन लाने की माँग करें
2) इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य स्तरीय निगरानी समिति, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें
3) अपने-अपने सांसदों, विधायकों और विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाएँ कि वे कैम्पा कानून को वापस लेने की माँग करें और इस पर मौजूदा रूप में अमल पर रोक लगाएँ.
4) अपने समुदाय को इस कानून औप नियमों के खतरों के प्रति आगाह करें और इसका विरोध करने के लिए लागों का लामबंद करें.

संपर्क सूत्र: